UPGK010052432026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्र०नि०अ० (यू०पी०एस०ई०बी०), गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-2300/2026

हरिश मिश्रा पुत्र शिव कुमार मिश्रा उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी-प्लाट नं०-63ए, स्ट्रीट नं०-1 (गुड्डी माता मन्दिर, न्यू प्रताप नगर वी.टी.सी. लुधियाना, पोस्ट-लुधियाना, थाना-हैब्वोवाल, जनपद-लुधियाना (पंजाब)। **.....आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....विपक्षी**

मु०अ०सं०-130/2026
धारा-318(4),319(2),336(3),338,340(2),351(3) B.N.S
थाना-चिलुआताल, जिला-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त हरिश मिश्रा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2300/2026 मु०अ०सं०-130/2026 अंतर्गत धारा-318(4),319(2),336(3),338,340(2),351(3) B.N.S थाना-चिलुआताल, जिला-गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के द्वारा शपथपत्र इस आशय कि प्रस्तुत किया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके आलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही लम्बित है।

2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हरीलाल द्वारा दिनांक 28.02.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि प्रार्थी के पिता स्व० रामनयन की मृत्यु दिनांक 17.05.2016 को हो जुकी है। मृत्यु के लगभग 8 वर्ष बाद दिनांक 20.01.2024 को प्रार्थी के पिता के स्थान पर एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके आराजी नं०-374, 528क जो कि मौजा तालजहदा, तप्पा मराछी, चन्दौर, परगना हवेली, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में स्थित है, को फर्जी मुख्तारेआम शैलेन्द्र यादव ने विवेक कुमार मिश्रा के मिलीभगत करके विक्रय कर दिया जिसमें हरीश मिश्रा व राज साहनी ने गवाही किया है तथा बैनामा विलेख जिल्द सं०-191024 के पृष्ठ सं०-258 से 304 तक क्रमांक 373 पर दिनांक 20.01.2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है तथा दिनांक 31.07.2025 को शैलेन्द्र यादव ने प्रार्थी के पिता मृतक राम नरायन के स्थान पर दूसरे फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके खाता सं०-286 आराजी नं०-266ख, 373ट, 1180ख जो कि मौजा तालजहदा, तप्पा मराछी, चन्दौर, परगना हवेली, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में स्थित है, को अपने नाम बैनामा करा लिये जिसमें पिन्टू निषाद तथा इजहार अली ने गवाही किया जो बही सं०-1 जिल्द सं०-20638 के पृष्ठ सं०-257 से 274 तक क्रमांक सं०-13185 पर दिनांक 31.07.2025 को रजिस्ट्रीकृत हुआ। इस प्रकार उपरोक्त शैलेन्द्र यादव, विवेक कुमार मिश्रा, हरीश मिश्रा, राज साहनी, पिन्टू निषाद, इजहार अली व अज्ञात लोग मिलकर प्रार्थी की जमीन हड़पने के आशय से कूटरचित अभिलेख तैयार कराकर उसके पिता स्व० नरायन से स्थान पर फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके जमीन का बैनामा करा लिये तथा शैलेन्द्र यादव द्वारा अब लगातार धमकी दी जा रही है कि इसकी शिकायत कहीं करोगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे, मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। प्रार्थी डरा सहमा है व उपरोक्त लोग मिलकर प्रार्थी की कभी भी हत्या कर सकते हैं।

3. दौरान बहस आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णरूप से निर्दोष है उसको गलत तौर पर अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/

अभियुक्त न तो क्रेता है और न ही विक्रेता है। आवेदक/अभियुक्त मात्र इस मामले में क्रेता की तरफ से हाशिये का गवाह है। इसके अलावा आवेदक/अभियुक्त इस मामले में कुछ नहीं जानता है। आवेदक/अभियुक्त न तो वादी मुकदमा को जानता है और न तो ऐसी किसी जमीन के स्वामित्व के बारे में जानता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रतिरुपण द्वारा छल नहीं किया गया है और न ही सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बैईमानी से उत्प्रेरित किया गया है और न ही मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कूटरचना किया गया है और न ही छल के प्रयोजन से किसा दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना किया है और न ही वादी मुकदमा को हत्या करने की धमकी दी गयी है। आवेदक/अभियुक्त के हस्तलेख में कोई कूटरचित दस्तावेज नहीं है। सभी धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिक्षणीय हैं। आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति से कोई अभद्रता नहीं करेगा। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पिता स्व० नारायन के स्थान पर खड़ा करके आराजी सं०-266ख,373ट व 1180ख का बैनामा कूटरचित दस्तावजों के आधार पर करा लिया जिसमें आवेदक/अभियुक्त की भूमिका गवाह की है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त सम्पत्ति को हड़पने के लिए कूटरचित तरीके से फर्जी प्रपत्र तैयार किये गये। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. मैंने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 20.01.2024 को उसके पिता मृतक स्व० नरायन के स्थान पर एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके आराजी नं0-374, 528क को फर्जी मुख्तारेआम शैलेन्द्र यादव ने विवेक कुमार मिश्रा से मिलीभगत करके विक्रय कर दिया जिसमे हरीश मिश्रा व राज साहनी ने गवाही किया है तथा दिनांक 31.07.2025 को शैलेन्द्र यादव ने उसके पिता मृतक नरायन के स्थान पर दूसरे फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके खाता सं0-286 आराजी नं0-266ख, 373ट, 1180ख को अपने नाम बैनामा करा लिये जिसमे पिन्टू निषाद तथा इजहार अली ने गवाही किया। शैलेन्द्र यादव द्वारा अब लगातार धमकी दी जा रही है कि इसकी शिकायत कहीं करोगे तो तुम्हारी हत्या कर देगें मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा।

7. विवेचक द्वारा वादी का बयान अंकित किया गया जिसमें वादी मुकदमा द्वारा घटना का समर्थन किया तथा अपने मजीद बयान में कथन किया है कि शैलेन्द्र यादव द्वारा मेरे पिता के नाम की जमीन को हड़पने के लिए उसके पिता के स्थान पर विनोद सिंह को नरायन बनाकर तथा गवाह पिन्टू निषाद की जगह पर अपने रिश्तेदार अनिल यादव व हरीश मिश्रा, राज साहनी, इजहार अली के साथ मिलकर दिनांक 31.07.2025 को उसके पिता के नाम की जमीन आराजी सं०-266ख,373ट व 1180ख को शैलेन्द्र यादव द्वारा अपने नाम करा लिया गया तथा दिनांक 20.01.2024 को आराजी सं०-374 व 528क को फर्जी मुख्तारेआम बनवाकर उपरोक्त सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विवेक मिश्रा के पक्ष में बैनामा कर दिया गया।

8. केस डायरी के पर्चा नं०-16 में उल्लिखित किया गया है कि मुखबिर की सूचना पर विनोद सिंह को गिरफ्तार किया गया। विनोद सिंह ने अपने बयान में कथन किया कि शैलेन्द्र यादव द्वारा दिनांक 12.12.2023 को मुझे रजिस्ट्री कार्यालय में बुलाया जहां पर शैलेन्द्र यादव, हरीश मिश्रा, राज साहनी पहले से मौजूद थे। चारों लोगों ने मिलकर मृतक नरायन की जमीन आराजी नं०-366ख, आराजी नं०-374ट, आराजी नं०-374, आराजी नं०-528क आराजी नं०-1180ख का मुख्तारेआम तैयार कराया। उक्त मुख्तारेआम में मैं नरायन बनकर रजिस्ट्री कार्यालय में अंगूठा लगाया तथा अपना बयान दिया तथा उसी मुख्तारेआम में हरीश मिश्रा व राज साहनी गवाह बने थे।

9. विक्रय विलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि आराजी नं०-374, 528क का बैनामा दिनांकित 20.01.2024 को सहअभियुक्त शैलेन्द्र यादव जरिये मुख्तारेआम नरायन द्वारा विवेक मिश्रा के पक्ष में किया गया है जिसमें आवेदक/अभियुक्त हरीश मिश्रा एवं राज साहनी गवाह की भूमिका में हैं।

10. उपरोक्त साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पिता स्व० नारायन के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आराजी सं०-374, 528ख का बैनामा विवेक मिश्रा के पक्ष में करा दिया गया जिसमें आवेदक/अभियुक्त की भूमिका गवाह की है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा बैनामा कराने के लिए कूटरचित तरीके से फर्जी प्रपत्र तैयार करवाये गये। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही किया जाना शेष है। यदि आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

11. अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तर्कों पर विचार करने तथा वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त हरिश मिश्रा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-04.06.2026

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
भ्र०नि०अधि० (यू०पी०एस०ई०बी०), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.06.05 12:02:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court